न्यायालय उप

प्रकरण संख्या 35/2017

हीरालाल पिता शिवा धाकड लाडपुरा

बनाम (1) गंगाराम पिता नन्दा धाकड
(2) लाला पिता उदा धाकड
(3) खेमराज पिता उदा धाकड निवासी लाडपुरा

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

दिनांक— 12/5/17

– आदेश :–

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री हीरालाल s/o शिवा धाकड ने जरिये अभिभाषक श्री ~~मनीषकुमार~~ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/शामलात खाते की भूमि ग्राम लाडपुरा प0ह0 लाडपुरा तह0 माण्डलगढ मे आराजी न0 1387/1016 किता — रकबा — बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् 2071/ता2074 के अवलोकन से प्रार्थी आराजी आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियानं के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम लाडपुरा की आराजी न0 1307/1016 रकबा बीघा 05 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेंख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। एवं कमीशनर फीस 150/–/रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ